प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण की 18.300 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :–लालढांग।
तहसील **हरिद्वार** जिला–**हरिद्वार**।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद **हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **18.300** हे0 आरक्षित वन भूमि, **शून्य** हे0 सिविल सोयम भूमि, **शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **18.300** हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत–**लालढांग** द्वारा दिनांक 02/05/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **लालढांग** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत लालढांग
ह0
दि0 2/05/2017
वि0ख0 बहादराबाद (हरिद्वार)

ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एसेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Remove Watermark Now
pdfelement

Remove Watermark Now

प्रपत्र 23–1

दिनांक 02/05/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :–लालढांग।

क्र0सं0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	कृष्ण चन्द्र बौड़ियाल (कटेबड़)	Krishna Chn
(2)	अनिल शर्मा लालढांग	Anil
(3)	[illegible]	[illegible]
(4)	[illegible] (लालढांग)	[illegible]
(5)	[illegible]	[illegible]
(6)	देवीदत्त	देवीदत्त
(7)	Anoop Amoli	[illegible]
(8)	[illegible] कुमार [illegible] कुमार [illegible]	[illegible]
(9)	विजेन्द्र सिंह यादव	Vijendra yadav
(10)	[illegible] [illegible]	[illegible]

सुरेन्द्र प्रसाद

मोहन सिंह

सुरेन्द्र प्रसाद

मोहन

pdfelement

Remove Watermark Now

प्रपत्र 23--2

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण की 18.300 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उपजिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड. **हरिद्वार** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग का निर्माण कार्य** (18.300 हे0 आरक्षित वन भूमि, **शून्य** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, **शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 18.300 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** प्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील **हरिद्वार**) की दिनांक 05/05/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

pdfelement

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार सिंह ......उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मनीष कुमार सिंह......उपजिलाधिकारी हरिद्वार......अध्यक्ष। (हस्ताक्षर) SDM HARDWAR
2– श्री.......[illegible]......उपप्रभागीय वनाधिकारी......[illegible]......सदस्य। (हस्ताक्षर) उप प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार
3– श्री टी0 आर0 मलेठा......सहायक समाज कल्याण अधिकारी......हरिद्वार......सदस्य/सचिव। (हस्ताक्षर) सहायक समाज कल्याण अधिकारी बहादराबाद
4– श्री.सती नीलम......बी0डी0सी0क्षेत्र/...35 सराय......सदस्य। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना हेतु 18.300 हे0 आरक्षित वन **भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वर्तमान में उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग का निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **18.300** है० वन हरिद्वार वन प्रभाग एवं लैन्सडौन वन प्रभाग से प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवंटित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–हरिद्वार
जनपद–हरिद्वार।

SDM
HARDWAR

प्रतिलिपि जिलाधिकारी,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–हरिद्वार
जनपद–हरिद्वार।

pdfelement
Remove Watermark Now

Annexure-I

FORM-II
(for linear projects)
Government of Uttarakhand)
Office of the District Collector, ~~Garhwal.~~ Haridwar

No 838 | DLRC Dated 5-5-17

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in fabour of public work Department (Name of User Agency) for **Construction Division, PWD Dugadda** (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of **Construction of Proposed Flyover and road on Laldhang-Chillarkhal motor road at Constituency Kotdwar in Distt-Pauri-Garhwal** villagers (s) in **Haridwar** tehsil.

pdfelement

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **18.300** hectares of **Reserve Forest** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the forest Rights committee(s) Gram sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... annexure ....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabha have given their consent to it,

(c) the each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Signature

( )

District Collector, Haridwar

जिला अधिकारी
हरिद्वार

Remove Watermark Now

Annexure-II

FORM-II
(for projects other than linear Project)
Government of Uttarakhand)
Office of the District Collector, ~~Garhwal~~. Haridwar.

No 838/DLRC

Dated 5-5-17

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose it is certified that **18.300 Hectare of Reserve Forest land proposed** to be diverted in fabour of public work Department (Name of User Agency) for **Construction Division, PWD Dugadda** (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of **Construction of Proposed Flyover and road on Laldhang-Chillarkhal motor road at Constituency Kotdwar in Distt-Pauri-Garhwal.** of villagers (s) in **Haridwar** tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 18.300 hectares of Van Panchayat land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Level committee are enclosed as annexure .... **annexure** ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, it vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certified issued by the gram sabha of --------------- villages (s) in enclosed an annexure .... to annexure.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha Present.

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. As above.

Signature

( )
District Collector, Haridwar

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

pdfelement

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण की 18.300 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में वन भूमि पर प्रस्तावित **लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग में प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु 18.300 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति........तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

( )
जिलाधिकारी
हरिद्वार

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

pdfelement

प्रपत्र 23—4

परियोजना का नाम :— **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग—चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण की 18.300 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित **लालढांग—चिल्लरखाल मोटर मार्ग में प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **18.300** हे0 आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्त एजेन्सी) का पर्त्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं.0—11—9/98—एफ0सी0 दि0 5/2/13 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों तथा सड़क नहर, परिपण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल एवं पाईप लाईन आदि बिछाने आदि के प्रकरणों का वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups)व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

( )
जिलाधिकारी
हरिद्वार

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

Remove Watermark Now

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Proposed Flyover and road on Laldhang-Chillarkhal motor road at Constituency Kotdwar in Distt-Pauri-Garhwal. (Length 11.50 Km) Regarding FRA is as following.

SL NO		REMARK
(a)	The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **18.300 Hect.** Of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right Committee (s) Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages, **Laldhang, Nayagaon, Chamariya, Jaspur** regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre agriculture Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

pdfelement

सुखविन्दर कौर लहरी
सदस्य
जिला पंचायत लालढांग (12)
हरिद्वार

(जिला पंचायत सदस्य)

(जिला समाज कल्याण अधिकारी)
हरिद्वार

जिला समाज कल्याण अधिकारी
विकास भवन (रोशनाबाद) हरिद्वार

प्रभागीय वनाधिकारी
(प्रभागीय वनाधिकारी)
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार
हरिद्वार

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल।

( )
जिलाधिकारी
हरिद्वार

(12)
(38)

Remove Watermark Now

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT HARIDWAR (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Haridwar District, Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ......Deepak Rawat....**I.A.S.** deputy commissioner, Haridwar on dated 5.5.2017 at Haridwar in which application claiming rights in Van Panchayat Forest area measuring **18.30 Hect** for the **Construction of Proposed Flyover and road on Laldhang-Chillarkhal motor road at Constituency Kotdwar in Distt-Pauri-Garhwal. (Length 11.50 Km)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee Haridwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no Objection/ claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place...Haridwar

Dated..5.5.2017..

( )

Deputy Commissioner- cum-Chairman
District Level committee.

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

pdfelement

(57)
(39)

दिनांक 5/5/2017 को जिलाधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

1–	सर्व श्री दीपक रावत	जिलाधिकारी, हरिद्वार	अध्यक्ष।
2–	श्री हर्षेन्द्र कुमार सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य।
3–	श्री दीपराज अग्निहोत्री	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य।
4–	श्रीमती सुखविन्दर कौर लद्दी	जिला पंचायत सदस्य लालढांग 12 हरिद्वार	सदस्य।

बताया गया कि बहादराबाद ब्लॉक में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गो हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गो का विवरण निम्नवत् है :–

pdfelement

1– जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण की 18.30 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन :–इस मोटर मार्ग का निर्माण गैंडीखाता–लालढांग मोटर मार्ग के कि0मी0 08 से आरम्भ होता है तथा ग्राम–भूवदेवपुर की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 11.500 कि0मी है। इस मोटर मार्ग में हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार की 0.950 कि0मी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से उत्तराखण्ड की राजधानी को गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत जोड़ने हेतु मार्ग के आस–पास सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त दुगड्डा ब्लॉक में **जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग के निर्माण** हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि 10.302 है0 लो0नि0वि0 को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

( ) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
हरिद्वार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।

पत्रांक........................./ सी0 दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– 1–जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल।

pdfelement
Remove Watermark Now